450

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च–मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 मई, 1998 (वैशाख 11, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :–

(1) श्री आनंदीलाल छजलानी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) सुश्री राजकुमारी ज्ञानदा देवी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री पुसऊराम, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री उमराव सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा; तथा
(5) श्री कन्हैयालाल खचेरूमल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. नं.38–स्था–रा. वि.से.प्रा.–97, दिनांक 3 जनवरी, 1998 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प क्रमांक एम–9–1–94–4–एक, दिनांक 19 फरवरी, 1994 तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 251–165–चौवन–95, दिनांक 7 जुलाई, 1995 के पैरा 8 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्प संख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 तथा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रेम नारायण ठाकुर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 14 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–3–97–सत्रह–मेडि–2, दिनांक 23 जुलाई, 1997 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, रीवा में नगर निगम व नगर सुधार न्यास के कर्मचारियों की पदोन्नति में अनियमितता होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री जयंत कुमार मलैया, ईश्वरदास रोहाणी, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, दमोह, जबलपुर एवं सागर नगर में पेयजल संकट होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर जिले में घटिया स्तर की शराब पीने से अनेक लोगों की मौत होने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा स्थित पॉलिटेक्निक संस्था के प्राचार्य द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर जन शक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के उत्तर वन मण्डल अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नीलम सिंह यादव, सदस्य, शिवपुरी जिले में तेंदूपत्ता संकलन में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भारत भवन, भोपाल के न्यासियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर व भिलाई नगर में डकैती की घटनायें होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. अशोक साबले, सदस्य, बैतूल जिले में डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा वन भूमि पर बिना अनुमति के कब्जा किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

–2–